

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारा

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2025 -26/ 4770

दिनांक:- 19/03/2026

निमित्त:- अधिशाशी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद।

विशय - खण्डेला से हलावनी सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।
Proposal no.FP/RJ/ROAD/6994/2014 (2.05 ha)
संदर्भ:- इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5328 दिनांक 28.08.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राज0 के पत्र क्रमांक 86-143 दिनांक 13.01.2025 से श्रमिक दरों में परिवर्तन होने के कारण संशोधित डिमान्ड नोट निम्नानुसार है।

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या -2 के क्रम में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धन राशि -

क्र. सं.	वेज रेट @ 252/- की दर से राशि	वेज रेट @ 259/- की दर से राशि	वेज रेट @ 285/- की दर से राशि	जमा राशि	अवशेष राशि जो अब जमा कर जानी है।
	क्षेत्रफल दर राशि	क्षेत्रफल दर राशि	क्षेत्रफल दर राशि		
	2.05 164100 336405	2.05 198000 40590	2.05 850600 1743730	336405	1407325

2. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या -3 के क्रम में NPV हेतु धन राशि -

क्रम सं.	तत्समय प्रचलित दर से ली गई राशि 626000/-	NPV वर्तमान नवीन दर से ली गई राशि 957780/-	पूर्व में जमा राशि	अवशेष राशि जो अब जमा कराई जानी है।
	क्षेत्रफल दर राशि	क्षेत्रफल दर राशि		
	2.05 626000 1283300	2.05 957780/- 1963449/-	1283300	680149


3. FCA उल्लंघन के क्रम में (MOEF & CC) के सरकुलर अनुसार दिनांक 29 जनवरी 2018 के अनुसार निम्नानुसार है।

- 29 जनवरी 2018 के परिपत्र अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन पर आरोपित भास्ती
 - उल्लंघन की दिनांक - 19.08.2020
 - कुल प्रभावित क्षेत्रफल - 2.05 है0
 - NPV की राशि - 957780 प्रति है0
 - शास्ती की गणना 19 अगस्त 2020 से 31.07.2025 तक
 $2.05 \times 5 \times 957780 = 9817245/-$
 - यदि प्रस्ताव जन उपयोगी प्रस्ताव है तो गणना का 20 % शास्ती के रूपदेय होगा और शास्ती
 $9817245 \times (20/100) = 1963449 /-$ होगी।

4. कुल राशि का विवरण-

क्रम सं	मद का नाम	चाही गई राशि	पूर्व में जमा राशि	अवशेष राशि जो अब जमा कराई जानी है।
1.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि	1743730	336405	1407325
2.	NPV की राशि	1963449	1283300	680149
3.	दण्डात्मक राशि	1963449	0	1963449
4.	कुल योग	5670628	1619705	4050923

अतः अब कुल जमा होने वाली राशि 4050923 केम्पा मद में जमा करवाकर रसीद इस कार्यालय में प्रेषित करे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।



(बडे विवेकानंद माणिकराव)
उप वन संरक्षक
बारां

दिनांक

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2025 -26/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1.अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी FCA राज. जयपुर।
- 2.संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।


(बडे विवेकानंद माणिकराव)
उप वन संरक्षक
बारां